कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/67/2023

श्री राकेश खत्री, मकान नम्बर 63 महाराणा प्रताप कॉलोनी, भरतपुर जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर

.........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 11.12.2023**

अपीलार्थी श्री राकेश खत्री, निवासी मकान नम्बर 63 महाराणा प्रताप कॉलोनी, भरतपुर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 01–06–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 767 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र सतर्कता/2023/1470 दिनांक 10.11.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का अपील में कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 10.11.2023 का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को

..........2

जरिये पत्र क्रमांक / सतर्कता / आरटीआई / 2023 / 835 दिनांक 31–7–2023 के द्वारा सूचना के बाबत अवगत कराया दिया गया है, जबाब के साथ अपीलार्थी को भेजे गये जबाब दिनांक 31.7.2023 की प्रति सलग्न की गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी को भेजे गये उक्त जबाब पत्र दिनांक 31–7–2023 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने पत्र में अंकित किया है कि :–

> "....आप द्वारा वर्ष 2012 में जिला स्तरीय जनसुनवाई में दिये गये प्रार्थना पत्र की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई है उक्त के सबंघ में लेख है कि कार्यालय अभिलेख में रिकॉर्ड उक्त परिवाद दर्ज होना नहीं पाया गया......आवेदन के साथ सलंग्न पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार भरतपुर को भिजवाया जा रहा है....।"

लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जन सुनवाई में दिया का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय रिकार्ड में दर्ज नही होने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहॉ तक प्रश्न तहसीलदार भरतपुर की जॉच रिपोर्ट के सूचना का है इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार भरतपुर को जरिये पत्र क्रमांक सर्तकता / आरटीआई / 836 दिनांक 31.7.2023 को भेज दिया गया है। यानि तहसीलदार भरतपुर की जॉच रिपोर्ट की सूचना तहसीलदार भरतपुर के स्तर पर लम्बित है।

अतः अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे लोक सूचना अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सर्तकता / आरटीआई / 836 दिनांक 31.7.2023 से भेजे गये प्रार्थी अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र चाही गई सूचना नियमानुसार प्रार्थी अपीलार्थी को शीघ्र उपलब्ध करावें । आदेश की प्रति प्रार्थी को (लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर प्रेषित की जावे तथा तहसीलदार, भरतपुर को प्राप्त अपील की प्रति पत्रादि सलंग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर